



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रेषित :- समस्त उप निदेशक (माध्यमिक), जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय

संस्था- एसीए/सांख्यिकीय/विद्यार्थी प्रतियोगिता/2014

दिनांक

विषय :- विद्यार्थियों के लिये सृजनात्मक प्रतियोगिताएँ।

महोदय/महोदया,

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा सत्र 2014-15 में राज्य के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक एवं सृजनात्मक कौशल अभिवृद्धि हेतु निम्नांकित प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना है :-

- (1) निबंध प्रतियोगिता
- (2) आशुभाषण-प्रतियोगिता
- (3) क्विज (प्रश्नोत्तरी) प्रतियोगिता
- (4) चित्रकला प्रतियोगिता
- (5) एकल गीत प्रतियोगिता

प्रतियोगिता आयोजन हेतु निर्देश

1. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम व द्वितीय अपने क्षेत्रों में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं के स्थान एवं तिथियों का निर्धारण करेंगे तथा प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात् परिणाम जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम को प्रेषित करेंगे।
2. ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के पश्चात् सम्बन्धित संस्था प्रधान विजेता रहे प्रथम एवं द्वितीय विद्यार्थियों की सूचना जिला शिक्षा अधिकारी एवं विजेता रहे विद्यार्थी के शाला प्रधान को प्रेषित करेंगे तथा जिला स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने हेतु आदेशित करेंगे।
3. जिला शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय प्रतियोगिता आयोजन की तिथियों की सूचना अपने अधीनस्थ विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर को आयोजन दिवस से 15 दिवस पूर्व देंगे ताकि बोर्ड अपने प्रतिनिधि को इस प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होने हेतु निर्देशित कर सकें।
4. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम जिला स्तर पर प्रतियोगिता आयोजन के लिए विद्यालय का चयन कर प्रतियोगिताओं के आयोजन की तिथियों का निर्धारण करेंगे।
5. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं की समुचित व्यवस्था करेंगे एवं जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे।
6. एक विद्यालय से एक प्रतियोगिता में एक विद्यार्थी ही भाग ले सकेगा।
7. ब्लॉक एवं जिला स्तरीय निबन्ध, आशुभाषण व चित्रकला के शीर्षक प्रतियोगिता स्थल पर ही बताये जावें।

- विशेष :-**
1. संबंधित विद्यार्थियों को इन प्रतियोगिताओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
 2. खण्ड स्तर और जिला स्तर पर आयोजन पश्चात् इन प्रतियोगिताओं के संबंध में अलग-अलग प्रतिवेदन बोर्ड को प्रेषित किए जावें।

प्रतियोगिताएं तीन स्तर पर आयोजित होंगी :-

1. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता— (पंचायत समिति स्तर पर एवं नगरीय खण्ड स्तर पर) (आयोजन— दिसम्बर 2014)

- (अ) जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रथम एवं द्वितीय अपने-अपने क्षेत्र में उक्त प्रतियोगिताओं के आयोजन की समुचित व्यवस्था करेंगे। जिले की प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर स्थित/संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय उक्त प्रतियोगिताओं के केन्द्र होंगे तथा वहां के संस्था प्रधान प्रतियोगिता के संयोजक होंगे। इन केन्द्रों पर उस पंचायत समिति परिक्षेत्र के विद्यालय भाग लेंगे।
- (ब) शहरी क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अपने क्षेत्राधीन आने वाले ऐसे लगभग 40 विद्यालयों का समूह बनाकर उसे एक ब्लॉक मानते हुए ये प्रतियोगिताएं आयोजित करवायेंगे। एक से अधिक समूह बनाने की स्थिति में, प्रत्येक समूह में विद्यालयों की संख्या यथा सम्भव समान रखी जावे।
- (स) इन प्रतियोगिताओं में राजस्थान बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त राजकीय एवं अराजकीय विद्यालयों के संस्कृत शिक्षा सहित कक्षा 9 से 12 तक के नियमित विद्यार्थी भाग ले सकेंगे। संस्था प्रधान अपने स्तर पर चयन कर अपने विद्यालय से इन प्रतियोगिताओं में एक-एक प्रतिभागी भेजेंगे। **एक विद्यार्थी किसी एक ही प्रतियोगिता में भाग ले सकेगा।**
- (द) ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागी को विद्यालय में नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण-पत्र अपने संस्था प्रधान से प्राप्त कर संबंधित संयोजक को प्रस्तुत करना होगा।
- (य) ब्लॉक संयोजक इन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर ओयाजित प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम, पते आदि की सूची निर्धारित प्रपत्र में प्रतियोगिता समाप्ति के तत्काल पश्चात् जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) को तथा विजेता विद्यार्थी एवं उसके विद्यालय को अनिवार्यतः प्रेषित करेंगे। **ब्लॉक (पंचायत समिति स्तर पर -नगरीय खण्ड स्तर पर) में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे।**

नोट :- (1) शहरी क्षेत्र का आशय उन स्थानों से है जहाँ नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पालिका स्थित हों।

- (2) बोर्ड से सम्बद्ध सभी राजकीय ओर अराजकीय शिक्षण संस्थाओं को खण्ड स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में भाग लेना अनिवार्य है। ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर आयोजन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन निदेशक (शैक्षिक) मा.शि.बोर्ड को आयोजन समाप्ति के एक सप्ताह में प्रेषित करना होगा।

प्रतिवेदन का प्रारूप :-

- (1) आयोजन स्थल का नाम
- (2) आयोजन तिथियां
- (3) भाग लेने वाले विद्यार्थियों के नाम मय विद्यालय के नाम
- (4) प्रतियोगिता के निर्णायकों के नाम व पद
- (5) प्रतिभागी विद्यार्थियों की पृथक-पृथक संख्या एवं नाम
- (6) विजेता विद्यार्थी और उनके विद्यालय का पूरा नाम तथा निवास का पूरा पता मय दूरभाष नम्बर
- (7) प्रतियोगिता के सम्बन्ध में अन्य सुझाव

2. जिला स्तरीय प्रतियोगिता— (आयोजन - जनवरी 2015)

- (क) जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) द्वारा निर्धारित विद्यालय जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं के आयोजन केन्द्र होगा तथा उस विद्यालय के प्रधानाचार्य कार्यक्रम के संयोजक होंगे।
- (ख) जिला स्तरीय संयोजक प्रधानाचार्य, ब्लॉक तथा नगरीय खण्ड स्तर पर इन प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय रहे विद्यार्थियों को जिला स्तर पर आमंत्रित करेंगे। जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के निर्देशानुसार संयोजक प्रधानाचार्य उक्त प्रतियोगिताओं का निर्धारित

तिथि पर आयोजन कर प्रतियोगिता समाप्ति के तत्काल पश्चात् प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों के नाम, पिता का नाम, कक्षा, विद्यालय का नाम, निवास का पता व दूरभाष नम्बर सहित की सूची जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) व निदेशक (शैक्षिक), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर एवं विजेता विद्यार्थी के विद्यालय के संस्था प्रधान को पंजीकृत डाक से प्रेषित करेंगे।

नोट :- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) जिला स्तर पर आयोजित होने वाली इन प्रतियोगिताओं के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को पर्यवेक्षक नियुक्त करेंगे, जो समस्त प्रतियोगिताओं के संचालन के लिये उत्तरदायी होगा। विवाद की स्थिति में पर्यवेक्षक का निर्णय ही मान्य होगा।

3. राज्य स्तरीय प्रतियोगिता :-

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा निर्धारित विद्यालय तथा तिथि पर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जायेगा। जिला स्तर पर आयोजन निबंध, आशुभाषण, क्विज, चित्रकला एवं एकल गीत प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आमंत्रित किये जायेंगे।

4. आयोजन व्यय :-

ब्लॉक एवं जिला स्तर के आयोजक विद्यालयों को आयोजन व्यय राशि प्रतियोगिता आयोजन के उपरान्त परिणाम प्राप्त होने पर बोर्ड द्वारा सीधे ही सम्बन्धित विद्यालयों को बैंक द्वारा भिजवायी जायेगी।

ब्लॉक स्तर पर- रूपये 400

जिला स्तर पर- रूपये 1500

इस राशि का उपयोगिता का प्रमाण-पत्र "निर्धारित प्रारूप" में बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक-प्रथम) के प्रति हस्ताक्षर कराकर परिणामों के साथ निदेशक (शैक्षिक), माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के नाम भिजवाये।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक प्रथम) द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न होने पर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) प्रथम/द्वितीय अपने जिले में ब्लॉक की संख्या का निर्धारण कर सूची निदेशक (शैक्षिक) माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर को प्रेषित करें।

5. पुरस्कार- छात्रवृत्ति राशि :-

(क) जिला स्तर - जिला स्तर पर प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र- छात्रा को प्रमाण- पत्र एवं निम्न प्रकार (एक शिक्षा सत्र 10 माह के लिए) छात्रवृत्ति देय होगी।

1. प्रथम स्थान प्राप्तकर्ता - रू. 200/- (रूपये दो सौ मात्र) प्रति माह (10 माह- एक शिक्षा सत्र के लिये)
2. द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता- रू. 150/- (रूपये एक सौ पचास मात्र) प्रतिमाह (10 माह- एक शिक्षा सत्र के लिये)
3. तृतीय स्थान प्राप्तकर्ता- रू. 100/- (रूपये एक सौ मात्र) प्रतिमाह (10 माह- एक शिक्षा सत्र के लिये)

विशेष नोट :- प्राप्तकर्ता विद्यार्थी को मिलने वाली अन्य प्रकार की छात्रवृत्तियाँ इस छात्रवृत्ति से अप्रभावित मानी जावें।

(ख) राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्तकर्ताओं को प्रमाण-पत्र एवं क्रमशः रू. 2000/- रू 1500/- व रू. 1000/- का नगद पुरस्कार दिया जायेगा। यह पुरस्कार राशि जिला स्तरीय छात्रवृत्ति के अतिरिक्त देय होगी।

6. यात्रा व्यय :-

- (अ) ब्लॉक एवं जिला स्तर पर : प्रतिभागी एवं प्रभारी शिक्षक को प्रतियोगिता स्थल तक आने-जाने का यात्रा भत्ता राजकीय नियमानुसार संस्था द्वारा देय होगा।
- (ब) राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभागी को प्रतियोगिता स्थल तक आने-जाने का व्यय बस/रेल (सामान्य श्रेणी) का वास्तविक किराया बोर्ड द्वारा देय होगा।
- (स) राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के साथ यदि एक जिले से छात्र व छात्रा दोनों ही भाग ले रहे हैं तो अधिकतम दो दलनायक भेजे जा सकेंगे। छात्रा के साथ एक महिला दलनायक को भेजा जाना अनिवार्य होगा। दलनायकों को यात्रा भत्ता राजकीय नियमानुसार बोर्ड द्वारा देय होगा।
- (द) राज्य स्तरीय एकल गीत प्रतियोगिता के प्रतिभागी के साथ आने वाले वादकों को किसी प्रकार का भुगतान बोर्ड द्वारा नहीं किया जायेगा।

आयोज्य प्रतियोगिताओं हेतु विस्तृत नियम एवं निर्देश

1. निबंध प्रतियोगिता :-

- (1) **विषय :-** पृष्ठांकित सूची (विषय क्षेत्र) में से पर्यवेक्षक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा शीर्षक तैयार कर उस पर निबंध लेखन करवाया जाये।
- (2) **समयावधि :-** 1½ घण्टा
- (3) **मूल्यांकन :-** तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाये। यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी होने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिये एक ही का चयन करें।
मूल्यांकन के आधार बिन्दु निम्नानुसार है :-

(अ) प्रस्तावना	-	10 अंक
(ब) विषय वस्तु	-	40 अंक
(स) प्रस्तुतिकरण एवं विषय संयोजन	-	20 अंक
(द) भाषा एवं शैली	-	20 अंक
(य) उपसंहार	-	10 अंक
योग	-	<u>100 अंक</u>

2. आशुभाषण प्रतियोगिता :-

- (1) **विषय :-** पृष्ठांकित विषय क्षेत्र की सूची में से शीर्षक तैयार कर अलग-अलग पर्चियां तैयार करके पूर्व में ही रख ली जायें तथा प्रतिभागी विद्यार्थी स्वयं इन पर्चियों में से एक पर्ची उठाकर उस पर अंकित शीर्षक पर अपना आशुभाषण प्रस्तुत करें। आशुभाषण की प्रस्तुति से पूर्व शीर्षक की घोषणा प्रतियोगिता संयोजक द्वारा की जाये।
- (2) **प्रतिभागी क्रम निर्धारण :-** प्रतिभागिता हेतु पर्चियां पर क्रम संख्या अंकित कर प्रत्येक प्रतिभागी को एक-एक पर्ची उठाने दी जाये तथा उस पर्ची पर अंकित क्रम संख्या को ही कोड नम्बर मानते हुए आमंत्रित किया जाये। निर्णायकों को दी जा रही मूल्यांकन सूची में प्रतिभागी के कोड नम्बर को ही अंकित किया जाये।
- (3) समय सीमा अधिकतम 5 (पाँच) मिनट प्रति प्रतिभागी (प्रत्येक प्रतिभागी को उसकी प्रस्तुति से पाँच मिनट पूर्व शीर्षक की पर्ची प्रदान की जायेगी)
- (4) आशुभाषण हेतु दिये गये विषय शीर्षकों में से ऐसे विषयों का चयन किया जाये जो प्रतिभागी के मौलिक एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति में सहायक हो।
- (5) विद्यार्थी आशुभाषण के पश्चात् शीर्षक की पर्ची अपने हस्ताक्षर कर आयोजक को जमा कराये।
- (6) **मूल्यांकन -** तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन के कुल योग के आधार पर निर्णय दिया जाए। यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।

मूल्यांकन का आधार बिन्दु निम्नानुसार है :-

(अ) विषय वस्तु	—	40 अंक
(ब) प्रस्तुतिकरण	—	30 अंक
(स) भाषा शैली	—	20 अंक
(द) समग्र प्रभाव	—	10 अंक
योग	—	<u>100 अंक</u>

3. क्विज प्रतियोगिता (प्रश्नोत्तरी) :-

नियम / निर्देश :

1. क्विज प्रतियोगिता केवल हिन्दी माध्यम में ही आयोजित होगी।
2. ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्तकर्ता छात्र/छात्रा ही जिला स्तर पर ब्लॉक का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
3. जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला छात्र/छात्रा ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
4. ब्लॉक एवं जिला स्तर पर क्विज प्रश्नों का निर्माण संबंधित संयोजक (ब्लॉक हेतु) तथा जिला शिक्षा अधिकारी (जिला स्तर) करवायेंगे। प्रश्नों के निर्माण हेतु दिये गये निर्देशों की अनुपालना की जाये।
5. क्विज मास्टर, स्कोरर तथा टाईमकीपर की व्यवस्था आयोजन के पूर्व ही कर ली जाये।
6. क्विज प्रतियोगिता दो चरणों में होगी :-

(अ) प्रथम चरण – लिखित परीक्षा :-

- (1) ब्लॉक/ जिला/राज्य स्तर पर क्विज प्रतियोगिता के लिये पंजीकृत कुल प्रतिभागियों की संख्या 16 से अधिक होन पर ही लिखित परीक्षा आयोजित होगी। इससे कम संख्या होने पर केवल द्वितीय चरण की मौखिक परीक्षा ही होगी।
- (2) लिखित परीक्षा की अवधि 60 मिनट तथा पूर्णांक 60 होंगे। प्रश्न-पत्र में बहुचयनात्मक/अति लघुत्तरात्मक प्रकार के 60 प्रश्न होंगे, जो आगे उल्लेखित विषयों से ही संबंधित होंगे। ब्लॉक/जिला स्तर पर लिखित परीक्षा हेतु संयोजक/जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर प्रश्न पत्र पूर्व में ही तैयार करवायेंगे। राज्य स्तर पर यह व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जायेगी। उत्तर पुस्तिकाओं की जाँच के बाद वरीयता क्रम में प्रथम 16 स्थान प्राप्त प्रतिभागियों को चयनित कर उन्हें क्विज प्रतियोगिता के द्वितीय चरण में सम्मिलित किया जाये।
- (3) यदि लिखित परीक्षा में 16 वे स्थान पर एकाधिक छात्रों के समान अंक आवें तो उन्हें 10 प्रश्नों का अतिरिक्त समय 10 मिनट देकर उनमें से एक छात्र का चयन कर लेंगे।

(ब) द्वितीय चरण- मौखिक परीक्षा :-

- (i) प्रथम चरण में सफल रहे सभी 16 प्रतिभागियों की मेरिट से क्रम देवे एवं निम्नानुसार 4 समूह बनायें

प्रथम समूह मेरिट संख्या	—	1, 8, 9, 16
द्वितीय समूह मेरिट संख्या	—	2, 7, 10, 15
तृतीय समूह मेरिट संख्या	—	3, 6, 11, 14
चतुर्थ समूह मेरिट संख्या	—	4, 5, 12, 13

विशेष :- यदि प्रश्नोत्तरी हेतु 16 से कम प्रतिभागी पंजीकृत हों तो लॉटरी द्वारा क्रम निर्धारण किया जावे तथा प्रत्येक चक्र में 4 प्रतिभागियों का समूह बनाकर "ब" के अनुसार प्रश्नोत्तरी संचालित की जाये।

प्रत्येक समूह की मौखिक प्रश्नोत्तरी के लिये दिये गये निर्देशानुसार चक्र आयोजित करें। प्रत्येक समूह से सर्वाधिक अंक प्राप्त प्रतिभागियों के लिये अंतिम समूह बनाकर पुनः दीर्घ चक्र, दृश्य श्रव्य चक्र व त्वरित चक्र आयोजित करें। इस समूह में सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता ही प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेता रहेगा।

(ii) यदि मौखिक परीक्षा के अंतिम चक्र में किन्हीं 2 या अधिक प्रतिभागियों को समान अंक प्राप्त हो तो उसके लिये जब तक एक स्थान पर एक विद्यार्थी विजेता नहीं बने पुनः पृथक से त्वरित चक्र आयोजित करें।

(iii) **मौखिक परीक्षा हेतु प्रक्रिया एवं नियम :-**

1. प्रथम – दीर्घचक्र– प्रश्नों की संख्या 4, प्रति प्रश्न अंकभार-10, पूर्णांक 40, उत्तर देने की अवधि 20 सैकण्ड प्रति प्रश्न। इस चक्र में क्विज के लिए प्रस्तावित विषय क्षेत्रों में प्रत्येक प्रतिभागी को क्रमशः एक-एक करके 4 प्रश्न पूछे जावें।

2. द्वितीय– दृश्य श्रव्य चक्र : प्रश्नों की संख्या– 4 (सभी प्रतियोगिताओं के लिए उभयनिष्ठ) प्रति प्रश्न अंक भार 10 पूर्णांक 40, ऋणात्मक अंक गलत उत्तर देने पर प्रति प्रश्न-5 अंक, उत्तर देने की अवधि 10 सैकण्ड।

इस चक्र में प्रतिभागी के समक्ष दृश्य, श्रव्य सामग्री, प्रयोग प्रदर्शन, चार्ट, चित्र, यंत्र, उपकरण, स्लाइड आदि का प्रदर्शन करें। प्रदर्शन के बाद सामग्री हटा लेंवे तथा प्रदर्शित सामग्री आधारित प्रश्न पूछे जावें। प्रश्न पूछने के बाद 10 सैकण्ड तक उत्तर की प्रतीक्षा करें। जो प्रतिभागी पहले घंटी बजावे उत्तर देने का अवसर उसे दें।

यदि 10 सैकण्ड की अवधि में कोई भी प्रतिभागी घण्टी नहीं बजावे तो दूसरा प्रदर्शन प्रस्तुत किया जावें। एक ही प्रदर्शन पर अधिकतम 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यदि पहले घण्टी बजाने वाला प्रतिभागी गलत उत्तर देता है तो उसके द्वारा पूर्व अर्जित अंकों में से 5 अंक काट लेंवे। किसी भी स्थिति में दूसरे प्रतिभागी को उत्तर देने का अवसर नहीं दिया जावे।

3. **तृतीय-त्वरित चक्र** : प्रश्नों की संख्या– 10 तथा प्रति प्रश्न अंकभार –5 पूर्णांक-50, समय-एक मिनट अधिकतम

त्वरित चक्र में क्विज मास्टर शीघ्रतापूर्वक प्रश्न पूछता जायेगा। प्रतिभागी को शीघ्र गति से उत्तर देना होगा। एक मिनट में जितने प्रश्नों को वह सही उत्तर देगा उसी के अनुरूप उसे अंक प्राप्त होंगे। इस चक्र में अधिकतम 10 प्रश्न निर्धारित हैं। यदि कोई विद्यार्थी उत्तर देने में समय नष्ट करता है तो उसके हिस्से में कम प्रश्न आयेंगे। इस चक्र में ऋणात्मक अंक नहीं होंगे। प्रतियोगिता के दौरान क्विज नियंत्रक/क्विज मास्टर का निर्णय ही मान्य होगा।

निबंध / आशुभाषण / क्विज हेतु प्रस्तावित विषय क्षेत्र

1. इतिहास :-

- प्राचीन भारत का गौरवशाली इतिहास, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक वैभव और ज्ञान विज्ञान
- भारत का स्वाधीनता संग्राम
- भारत के वीर एवं वीरांगनाएं
- राजस्थान की प्रमुख वीरांगनाएं एवं क्रान्तिकारी
- राजस्थान का प्राचीन गौरवशाली इतिहास
- स्वाधीनता संग्राम एवं राजस्थान
- मानव विकास सभ्यताओं के विभिन्न चरण

2. भाषा एवं संस्कृति

- राजस्थान की संत परम्परा एवं समाज सुधारक
- राजस्थान के लोक देवी देवता एवं सामाजिक जागरण
- राजस्थान एवं भारत की लोक संस्कृति-प्रमुख त्यौहार, मेले, परिधान, एवं रीति रिवाज, लोकसंगीत, लोक नृत्य, लोक गीत, लोक कलाएँ, चित्रकला एवं बोलियाँ

- राजस्थानी भाषा एवं साहित्य, हस्तशिल्प एवं हस्तकलाएँ
- राजस्थान के विकास में बाधक सामाजिक कुरितियाँ एवं निराकरण
- सामान्य हिन्दी व्याकरण, प्रमुख लेखक एवं उनकी कृतियाँ

3. अर्थव्यवस्था

- राजस्थान के लघु एवं कुटीर उद्योग
- राजस्थान में कृषि एवं पशुपालन, विविध सरकारी योजनाएं
- जैविक कृषि एवं औषधिय पौधों की खेती, गौ संवर्द्धन
- राजस्थान में ऊर्जा विकास की संभावनाएं समस्याएं, सुझाव एवं आपदा प्रबंधन
- राजस्थान में आर्थिक नियोजन, आर्थिक नीति
- प्राचीन राजस्थान में जल संग्रहण की तकनीक एवं वर्तमान में उसकी उपादेयता
- राजस्थान के आर्थिक विकास की बाधाएं— जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं बेरोजगारी
- राजस्थान एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख सूचक

4. विज्ञान एवं गणित

- दैनिक जीवन में विज्ञान
- भारत के प्रमुख वैज्ञानिक एवं उनका योगदान
- संस्कृत साहित्य में विज्ञान
- सूचना प्रौद्योगिकी में भारत के बढ़ते चरण
- भारत के मिसाइल एवं उपग्रह कार्यक्रम
- जैव प्रौद्योगिकी एवं नवीनतम वैज्ञानिक शोध
- प्रारम्भिक गणित— सरल, तार्किक ज्ञान, ज्वीनोपयोगी, गणित, संख्या ज्ञान, ज्यामिति, आकृतियां
- कम्प्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान

5. भूगोल

- राजस्थान के वन, वन्य जीव एवं उनका संरक्षण, प्रमुख अभ्यारण्य
- राजस्थान की नदियाँ, पर्वत, झीलें, खनिज, वन
- राजस्थान के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र एवं जलवायु
- राजस्थान के मानव संसाधन—जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात की समस्या एवं निराकरण
- राजस्थान के सीमान्त क्षेत्र की समस्याएं
- राजस्थान के किले, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन स्थल
- प्राचीन राजस्थान में पर्यावरण चेतना व वर्तमान में इसकी उपादेयता
- राजस्थान की जनजातियाँ

6. स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा

- योग एवं स्वास्थ्य
- खेलकूद एवं खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, अलंकार एवं पुरस्कार
- राष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रति सजगता, स्वच्छता अभियान, पल्स पोलियो, कुष्ठ रोग निवारण, एड्स, परिवार नियोजन
- महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, कुपोषण एवं संतुलित आहार
- व्यसन मुक्ति (तम्बाकू, नशा मुक्ति, धूम्रपान निषेध आदि)
- स्वच्छता और स्वास्थ्य

7. राजनैतिक

- राजस्थान में राजनैतिक चेतना का उदय एवं राजनैतिक एकीकरण
- राजस्थान में पंचायतीराज एवं ग्राम स्वराज में जन सहभागिता बढ़ाने के उपाय
- संयुक्त राष्ट्रसंघ के पुनर्गठन की आवश्यकता

8. समसामयिकी

- राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान
- सांस्कृतिक प्रदूषण एवं निवारण
- शैक्षिक विकास की योजनाएँ
- महिला सशक्तिकरण, आवश्यकता एवं उपाय
- समसामयिकी घटनाचक्र
- भ्रष्टाचार एवं कालाधन की समस्या एवं निराकरण
- अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद
- आर्थिक उदारीकरण एवं स्वदेशी आन्दोलन
- बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का कसता शिकंजा एवं स्वदेश उद्योगों पर प्रभाव
- भारत एवं राज्य सरकार की कम्प्यूटर के सामान्य विकास के विभिन्न कार्यक्रम
- बदलते परिवेश में मीडिया की सार्थकता
- सामाजिक समरसता व राष्ट्रीय एकता
- युवा शक्ति का राष्ट्रोत्थान में योगदान

4. चित्रकला प्रतियोगिता—

- (1) **विषय—** पृष्ठांकित सूची (विषय क्षेत्र) में से पर्यवेक्षक/संयोजक/जिला अधिकारी (माध्यमिक) द्वारा चित्रकला प्रतियोगिता हेतु शीर्षक चयनित किया जायेगा। प्रतिभागी को चयनित शीर्षक के अनुसार ही चित्रांकन करना होगा।
- (2) **समयाविध—** 2 घण्टे
- (3) **मूल्यांकन—** तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन का औसत प्राप्त कर निर्णय दिया जाये। यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।

मूल्यांकन के आधार बिन्दु :-

(अ) विषय वस्तु	—	20 अंक
(ब) रेखांकन	—	20 अंक
(स) संयोजन	—	20 अंक
(द) समग्र प्रभाव	—	40 अंक
योग	—	<u>100 अंक</u>

(4) चित्रण सामग्री :-

- (1) रंग, ब्रुश, पेन्सिल व अन्य वांछित उपकरण की व्यवस्था प्रतिभागी स्वयं करेगा।
- (2) चित्रण हेतु 1/4 इम्पीरियल साईज की ड्रॉइंग शीट काम में लानी होगी, जिसे संयोजक द्वारा उपलब्ध करवाया जायेगा।

(5) विषय क्षेत्र :-

पर्यावरण, जनसंख्या, वन्य प्राणी संरक्षण, प्रकृति एवं समाज, राजस्थान की परम्परागत चित्रण शैलियां, लोक कला (Folk Art) वर्तमान राष्ट्रीय एवं सामाजिक समस्याएं, जल संग्रह एवं संरक्षण, भूमण्डलीकरण, दैनिक जीवन एवं विज्ञान, महिला सशक्तिकरण।

(5) एकल गीत प्रतियोगिता :-

- (1) **विषय क्षेत्र —**
 - (1) देश भक्ति गीत
 - (2) राजस्थानी लोकगीत
 - (3) भजन (आध्यात्मिक)

(2) वाद्य यंत्र एवं वादक

(अ) अधिकतम तीन यंत्र

(ब) वाद्य यंत्रों एवं वादकों की व्यवस्था प्रतिभागी स्वयं करेंगे।

(स) (1) हारमोनियम (2) तबला/ढोलक (3) मजीरा/खंजरी

(3) मूल्यांकन के बिन्दु :-

1. गीत चयन उच्चारण	—	20 अंक
2. लय एवं ताल	—	30 अंक
3. स्वर	—	30 अंक
4. प्रस्तुतिकरण	—	20 अंक
योग	—	<u>100 अंक</u>

(4) समयावधि :- 3 से 5 मिनट

(5) मूल्यांकन – तीन निर्णायकों द्वारा किये गये मूल्यांकन का कुल योगकर निर्णय दिया जाये। यदि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर एक से अधिक प्रतिभागी आ जाने पर भाग्य विधि (लॉटरी) से निर्णय कर एक स्थान के लिए एक ही प्रतिभागी का चयन करें।

नोट :- 1. सभी प्रकार के राजस्थानी लोकगीत, देशभक्ति गीत एवं भजन मान्य होंगे।
2. फिल्मी देशभक्ति गीत एवं भजन मान्य नहीं होंगे।

(महेन्द्र प्रकाश शर्मा)
सचिव

क्रमांक : एसीए/सांख्यिकी/विद्यार्थी प्रतियोगिता/ 2014

दिनांक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, जयपुर
3. उपनिदेशक, शिक्षा (माध्यमिक) अजमेर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, चूरु, भरतपुर।
4. सम्पादक, शिविरा, बीकानेर।

सचिव